भारत संघ और अन्य बनाम ब्रिज लाल और अन्य

(माननीय न्यायमूर्ति एम. एम कुमार)

**माननीय न्यायमूर्ति एम. एम कुमार और जितेंद्र चौहान के समक्ष**

**भारत संघ और अन्य याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**ब्रिज लाल और अन्य उत्तरवादी**

**सीडब्लूपी क्रमांक- 16046 of 2009**

**9 मार्च, 2010**

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली, 1993 - अनुच्छेद 31 - नैमित्तिक मजदूर के रूप में नियुक्ति - सेवाओं का नियमितीकरण - सेवानिवृत्ति - सेवानिवृत्ति लाभ - अर्हक सेवा के रूप में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में प्रदान की गई सेवा की गणना पर विचार न करना। 31 में प्रावधान है कि नियमितीकरण के बाद पूर्ववर्ती अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में आधी सेवा की सीमा तक गिना जाना आवश्यक है - प्रतिवादी को सेवानिवृत्त लाभों के प्रयोजनों के लिए आकस्मिक श्रमिक के रूप में प्रदान की गई सेवा की आधी अवधि को अर्हक सेवा के रूप में मानने का हकदार माना जाता है - याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की कि प्रतिवादी आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवा को आकस्मिकता से भुगतान किया जा रहा था और इसमें पूर्णकालिक रोजगार शामिल था और यह प्रकृति में एक बारहमासी था। यह भी निर्विवाद रहा है कि वेतन के मामले में प्रतिवादी-आवेदक को समान परिलब्धियों का भुगतान किया जा रहा था जो नियमित रोजगार पर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा था। प्रतिवादी आवेदक अंतिम शर्त को भी पूरा करता है कि आकस्मिकता की सेवा निरंतर रही है, जिसके बाद 15 जनवरी 1977 के आदेश के अनुसार नियमितीकरण किया गया था। तदनुसार, नियमों के नियम 31 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी-आवेदक 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी,

1977 तक सेवा के आधे हिस्से की गणना करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसे सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा। यह इस प्रकार है कि उस हद तक ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किया जा सकता है क्योंकि उसने नियमों के नियम 3 1 द्वारा विचार की गई आधी अवधि के बजाय पूरी अवधि की गणना का आदेश दिया है। इसलिए, भारत संघ द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

. (Para 6)

अमित कुमार, याचिकाकर्ताओं के वकील।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए डी. आर. शर्मा, वकील।

**माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार**

1. भारत संघ द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा ओए नंबर 751 एचपी 2006 में पारित आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी, 1977 तक आकस्मिक श्रमिक के रूप में की गई सेवा को पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना है

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी को शुरू में 9 सितंबर, 1969 को रेलवे के साथ निर्माण संगठन में एक परियोजना कारण श्रमिक-सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 15 जनवरी, 1977 को गैंगमैन (ग्रुप डी) के रूप में नियमित किया गया था और वह 31 मार्च, 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। प्रतिवादी को 15 जनवरी, 1977 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के लिए नियमित सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति देय राशि दी गई थी। हालांकि, उत्तरदाता द्वारा एक आकस्मिक श्रमिक-सहायक के रूप में बिताए गए सात साल से अधिक की अवधि को योग्यता सेवा के रूप में नहीं माना गया था। नैमित्तिक श्रमिक-सहायिका के रूप में प्रदान की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से अर्हक सेवा के रूप में गिनने से इनकार करने से व्यथित होकर

प्रतिवादी-आवेदक ने अधिकरण से संपर्क किया और निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी, 1977 तक उसके द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण सेवा को अर्हक सेवा माना जाए। ट्रिब्यूनल ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि 1 सितंबर, 1986 (आरआई) के निर्देशों पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया था, जो लागू नहीं थे क्योंकि वे निर्देश ऐसे व्यक्तियों तक ही सीमित थे जो 1986 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। यह एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी-आवेदक को कभी भी अस्थायी स्थिति से सम्मानित नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल ने रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 1993 (संक्षिप्तता 'नियम' के लिए) पर भरोसा किया और अपने आदेश के पैरा 9 और 10 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

"9. हमने दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर उचित विचार किया है। हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्देश आवेदक के मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये उन लोगों पर लागू होते हैं जो 1986 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे। जैसा कि माना जाता है कि आवेदक को 1977 में ग्रुप 'डी' में एक गैंगमैन के रूप में खुली लाइन में नियमित किया गया था, इसलिए वह पेंशन नियमों द्वारा शासित होता है। रेल सेवा (पेंशन नियमावली) के अंतर्गत परियोजना श्रमिकों और खुली लाइन के श्रमिकों के बीच नियमितीकरण से पूर्व नैमित्तिक अथवा कार्य प्रभारित आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना करने के लिए कोई विभेद नहीं किया जाता है। स्पष्टतया, वर्तमान मामले में आवेदक 1969 में नियुक्त किया गया है और रेलवे बोर्ड के दिनांक 2 अगस्त, 1968 के अनुदेश उसके मामले में लागू होंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आकस्मिकताओं से भुगतान की गई आधी सेवा नियमित रोजगार में समाविष्ट होने के समय पेंशन संबंधी लाभों में गिनी जाएगी।

10. यह न्यायालय आगे पाता है कि आवेदक का मामला आवेदक द्वारा आश्रय किए गए विभिन्न निर्णयों द्वारा भी समर्थित है, जिसमें कानून निर्धारित किया गया है कि नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई दैनिक मजदूरी कार्य प्रभारित / आकस्मिक भुगतान सेवा, . पेंशन और ग्रेच्युटी के उद्देश्य के लिए गिना जाना चाहिए। "

2. यह उल्लेख करना उचित है कि इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद कि याचिकाकर्ता आकस्मिक श्रमिक-सहायक के रूप में की गई सेवा का आधा हिस्सा गिनने के हकदार होंगे, ट्रिब्यूनल ने पैरा 1 में राहत देते समय एक त्रुटि की क्योंकि पूरी सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाने का आदेश दिया गया है। ट्रिब्यूनल का पूर्वोक्त पैरा निम्नानुसार है:

"11. नतीजतन, इस ओए की अनुमति है। प्रतिवादियों को निदेश दिया जाता है कि वे आवेदक द्वारा 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी, 1977 तक नैमित्तिक श्रमिक के रूप में प्रदान की गई सेवा को पेंशन लाभों के लिए अर्हक सेवा के रूप में मानें। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए अपने सेवानिवृत्ति बकाया की फिर से गणना करें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर परिणामी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

4. पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि लागू आदेश के पैरा 1 I में ट्रिब्यूनल द्वारा की गई उपरोक्त त्रुटि धारणीय नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई भी निर्देश डब्ल्यूएचओ की गिनती के लिए है। आकस्मिकता से भुगतान की गई सेवा नियमों के नियम 31 का उल्लंघन होगी। इसलिए, नियमों के नियम 31 को पढ़ना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

"31. **आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की गणना।**

22 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवा में कार्यरत रेल सेवा के संबंध में, आकस्मिकताओं से भुगतान की गई आधी सेवा को नियमित रोजगार में शामिल होने पर पेंशन लाभों की गणना के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:—

(क) आकस्मिकताओं से की गई सेवा पूर्णकालिक नौकरी में रही है;

(ख) आकस्मिकताओं से की जाने वाली सेवा एक प्रकार का काम या नौकरी होनी चाहिए जिसके लिए मालियों, चौकीदारों और खलासी के पदों के रूप में नियमित पद स्वीकृत किए जा सकते थे;

(ग) सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान या तो मासिक दर के आधार पर किया गया हो या दैनिक दर के आधार पर गणना की गई हो और मासिक आधार पर भुगतान किया गया हो और जो नियमित वेतनमान के अनुरूप न हो, लेकिन वेतन के मामले में कुछ संबंध रखता हो जिन्हें नियमित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों द्वारा संबंधित अवधि में किए जा रहे समान कार्यों के लिए भुगतान किया जा रहा है

(घ) आकस्मिकताओं वाली सेवा निरंतर रही है और इसके बाद बिना किसी विराम के नियमित रोजगार में शामिल किया गया है।

5. उपर्युक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि यह 22 अगस्त, 1969 के बाद की अवधि को कवर करता है यदि नैमित्तिक श्रमिक को आकस्मिकता से किया गया है। नियमितीकरण के बाद पूर्ववर्ती अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में आधी सेवा की सीमा तक गिना जाना आवश्यक है। यदि सेवा का आधा हिस्सा पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करना है, तो आगे की शर्तें लगाई जाती हैं। सबसे पहले, सेवा को आकस्मिकताओं से भुगतान किया जाना आवश्यक है और इसमें पूर्णकालिक रोजगार शामिल है। दूसरे, सेवा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिसके लिए नियमित पद स्वीकृत किए जा सकते थे जैसे कि मालियों, चौकीदारों और खलासियों के पद। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी सेवा के लिए भुगतान या तो मासिक दर के आधार पर किया गया है या दैनिक दर पर गणना की गई है और मासिक आधार पर भुगतान किया गया है और वेतन के मामले में उन लोगों के साथ कुछ संबंध होना चाहिए जिनके पास नियमित प्रतिष्ठान में काम करने के लिए समान नौकरी है और अंत में ऐसी सेवा निरंतर होनी चाहिए और इसके बाद बिना किसी विराम के नियमित रोजगार में समामेलन होना चाहिए।

6. जब उपरोक्त नियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवा का भुगतान आकस्मिकता से किया जा रहा था और इसमें पूर्णकालिक रोजगार शामिल था और यह प्रकृति में बारहमासी था। यह भी निर्विवाद रहा है कि वेतन के मामले में प्रतिवादी-आवेदक को समान परिलब्धियों का भुगतान किया जा रहा था जो नियमित रोजगार पर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा था। प्रतिवादी-आवेदक अंतिम शर्त को भी पूरा करते हैं कि आकस्मिकता की सेवा निरंतर रही है, जिसके बाद 15 जनवरी, 1977 के आदेश के अनुसार नियमितीकरण किया गया था। तदनुसार, नियमों के नियम 31 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी-आवेदक 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी, 1977 तक सेवा के आधे हिस्से की गणना करने के हकदार हो जाएंगे, जिन्हें सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा। यह इस प्रकार है कि उस हद तक ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किया जा सकता है क्योंकि उसने नियमों के नियम 31 द्वारा विचार की गई आधी अवधि के बजाय पूरी अवधि की गणना का आदेश दिया है। इसलिए, भारत संघ द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

7 उपर्युक्त टिप्पणियों की अगली कड़ी के रूप में, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा आक्षेपित आदेश के पैरा 11 में दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी-आवेदक को 9 सितंबर, 1969 से 14 जनवरी, 1977 तक एक आकस्मिक मजदूर के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की आधी अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को इसकी गणना करने और प्रतिवादी आवेदक को in9% प्रति वर्ष के साथ इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि आरएस रंधावा बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा माना गया है।

भारत संघ और अन्य बनाम ब्रिज लाल और अन्य

(माननीय न्यायमूर्ति एम. एम कुमार)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।